

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 परिभाषाओं से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (19ए) के स्पष्टीकरण 4 में संशोधन करने का प्रयास करता है।

खंड (19AA) "विविलय" को परिभाषित करता है। स्पष्टीकरण 4 स्पष्ट करता है कि किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अधीन गठित या स्थापित किसी प्राधिकरण या निकाय का, जैसा भी मामला हो, अलग-अलग प्राधिकरणों या निकायों में विभाजन या पुनर्गठन, विविलय माना जाएगा यदि ऐसा विभाजन या पुनर्गठन खंड (19AA) के उप-खंड (i) से (vii) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है। उक्त शर्तों के बजाय, प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में शर्तों को अधिसूचित करने का अधिकार देने का प्रयास करता है।

खंड 5 कुल आय में शामिल न की गई आय से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 10 में संशोधन करने का प्रावधान करता है।

उप-खंड (ख) कुछ प्रतिभूतियों, बांडों, वार्षिकी प्रमाणपत्रों, बचत प्रमाणपत्रों आदि के मोचन पर ब्याज, प्रीमियम के रूप में आय के बहिष्कार से संबंधित खंड (15) में संशोधन करना चाहता है। खंड (15) में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि उस खंड में बांड पर ब्याज से संबंधित एक नया उप-खंड (vii) शामिल किया जा सके। ये बांड स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए बांड होंगे। खंड (15) में डाले जाने वाले नए उप-खंड (vii) का मद (ख) केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बांड के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाता है, जिसके संबंध में ब्याज कुल आय से बाहर रखा जाने के योग्य हो जाएगा।

उप-खंड (ग) एक नया खंड (23ईए) जोड़ने का प्रयास करता है ताकि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा स्थापित निवेशक संरक्षण निधि की आय को कुल आय से बाहर रखा जा सके। यह खंड केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थापित किसी भी निवेशक संरक्षण निधि को उस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।

उप-खंड (ई) एक नया खंड (23एफबी) डालने की मांग करता है ताकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि की आय को कुल आय से बाहर रखा जा सके। खंड (23एफबी) के स्पष्टीकरण के खंड (ए) और (बी) क्रमशः "उद्यम पूंजी कंपनी" और "उद्यम पूंजी निधि" को परिभाषित करते हैं। यह प्रस्तावित है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, उन खंडों के प्रयोजनों के लिए एक उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाया जाए। खंड (23एफबी) के स्पष्टीकरण का खंड (सी) "उद्यम पूंजी उपक्रम" को परिभाषित करता है। यह प्रस्तावित है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, उन गतिविधियों या क्षेत्रों की सूची निर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाया जाए,

विधेयक का खंड 20, गणना की विधि से संबंधित धारा 48 के स्पष्टीकरण में खंड (व) को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है ताकि "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया जा सके। प्रस्तावित खंड (व) केंद्र सरकार को उक्त खंड के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी पिछले वर्ष के लिए "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।

खंड 49 आयकर अधिनियम में कुछ कंपनियों द्वारा कर के भुगतान के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित एक नई धारा 115JB को शामिल करने का प्रयास करता है। नई धारा 115JB की उप-धारा (4) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा वह प्रारूप निर्धारित करने का अधिकार देती है जिसमें प्रत्येक कंपनी, जिस पर उक्त धारा लागू होती है, लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

खंड 52 यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित धारा 115आर में संशोधन करने का आशय रखता है ताकि एक नई उपधारा (3ए) अंतःस्थापित की जा सके। प्रस्तावित नई उपधारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा, उन आयकर प्राधिकारियों को निर्धारित करने का अधिकार देती है जिनके समक्ष विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, वह प्रारूप और तरीका जिससे विवरण प्रस्तुत किया जाएगा और वे विवरण जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड, जैसा भी मामला हो, द्वारा वितरित आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उक्त विवरण में दिए जा सकेंगे।

खंड 54, आयकर अधिनियम में उद्यम पूंजी कंपनियों और उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित एक नया अध्याय XII-F अंतःस्थापित करने का प्रयास करता है। निवेशकों को वितरित आय पर कर से संबंधित नई धारा 115U अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। उक्त नई धारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा, उस आयकर प्राधिकारी को निर्धारित करने का अधिकार देती है जिसके समक्ष विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, वह प्रारूप और तरीका जिससे विवरण प्रस्तुत किया जाएगा और उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि द्वारा वितरित आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उक्त विवरण में दिए जा सकने वाले विवरण, जैसा भी मामला हो।

खंड 55, आयकर अधिनियम की धारा 139क में स्थायी खाता संख्या (पीएन) से संबंधित एक नई उप-धारा (1क) जोड़ने का प्रयास करता है। प्रस्तावित नई उप-धारा (1क) केंद्र सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त कानून के अंतर्गत देय कर या शुल्क का भुगतान करने वाले किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देती है। यह धारा केंद्र सरकार को स्थायी खाता संख्या (पीएन) के आवंटन के लिए

कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन करने की समय-सीमा निर्दिष्ट करने का भी अधिकार देती है।

खंड 59 अग्रिम न्यायिक निर्णय से संबंधित परिभाषाओं से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 245एन में संशोधन करने का प्रयास करता है। उस धारा का खंड (ख) "आवेदक" शब्द को परिभाषित करता है। यह खंड, *अन्य बातों के साथ-साथ*, केंद्र सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, "आवेदक" शब्द के दायरे में आने वाले निवासियों के वर्ग या श्रेणी को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।

खंड 74 सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27ए में संशोधन का प्रावधान करता है। इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विलंबित धन वापसी पर ब्याज दर निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है।

खंड 76 सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28ए में संशोधन का प्रावधान करता है। इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज दर निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है।

खंड 77 सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28एबी में संशोधन का प्रावधान करता है। इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को विशेष मामलों में शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज दर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है।

खंड 79 सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) में संशोधन का प्रावधान करता है। इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को, जहाँ माल की निकासी घरेलू उपभोग के लिए हो, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज दर निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है।

विधेयक का खंड 80 सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) में संशोधन करने का प्रयास करता है। इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस उपखंड में निर्दिष्ट किए गए और शुल्कों पर ब्याज दर निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है।

विधेयक का खंड 85 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इस खंड का उप-खंड (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में एक नई धारा 9ए जोड़ने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित धारा 9ए की उप-धारा (2) केंद्र सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, ताकि उस धारा की उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए आयातक द्वारा आवेदन करने के तरीके और समय का प्रावधान किया जा सके और केंद्र सरकार के अधिकारियों को केंद्र सरकार की ओर से ऐसे आवेदन का निपटान करने और वापसी योग्य अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण और वापसी की प्रक्रिया का प्रावधान करने के लिए अधिकृत किया जा सके। यह प्रस्तावित उप-धारा केंद्र सरकार को नियमों द्वारा समय-सीमा निर्दिष्ट करने के लिए भी अधिकृत करती है, जिसके भीतर ऐसे आवेदन का निपटान किया जाएगा।

खंड 89 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3ए में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। उस खंड का उपखंड (क) उस धारा की उपधारा (2) के स्थान पर एक नई उपधारा (2) प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित नई उपधारा (2) केंद्रीय सरकार को *अन्य बातों के साथ-साथ*, कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता के निर्धारण की रीति प्रदान करने, ऐसे माल के उत्पादन से संबंधित कारक और ऐसे कारक की एक इकाई के उपयोग से उत्पादित मानी जाने वाली मात्रा को निर्दिष्ट करने तथा कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता के निर्धारण का भी प्रावधान करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करती है। उपखंड (ख) उक्त धारा की उपधारा (3) में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है जिससे केंद्रीय सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस उपधारा के अंतर्गत कर लगाने की दें निर्दिष्ट करने की शक्तियां प्रदान की जा सकें।

विधेयक के खंड 90 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के स्थान पर धारा 4 प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नई धारा की उप-धारा (1) का खंड (ख) केंद्र सरकार को नियमों द्वारा, उस खंड में विनिर्दिष्ट मामले में माल का मूल्य निर्धारित करने की विधि निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित तिथि से लागू होगा।

खंड 94 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11ए में संशोधन का प्रावधान करता है। इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज दर निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है।

विधेयक का खंड 95 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11एबी की उपधारा (1) में संशोधन का प्रावधान करता है। इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों में शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज दर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है।

खंड 98 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11बीबी में संशोधन का प्रावधान करता है। इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विलंबित धन वापसी पर ब्याज दर निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है।

खंड III, केंद्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वह तिथि नियत करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे उस खंड के अधीन प्रस्तावित संशोधन प्रवृत्त होंगे।

वे विषय जिनके संबंध में विधेयक के पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसार अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी या नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यावहारिक नहीं है।

इसलिए, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

वित्त विधेयक, 2000 के प्रावधानों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन

प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रावधान

वित्त विधेयक, 2000 में प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रावधान हैं:—

- (i) कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 के लिए कर योग्य आय पर आयकर की दरें निर्धारित करना; वे दरें जिन पर अधिभार सहित कर वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित), लाभांश, लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहली से जीत, घुड़दौड़ से जीत, तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती योग्य अन्य आय श्रेणियों से स्रोत पर कटौती योग्य होगा; "अग्रिम कर" की गणना, 'वेतन' से आयकर की कटौती तथा वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए कुछ मामलों में चालू आय पर आयकर प्रभारण की दरें।
- (ii) आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन, *अन्य बातों के साथ-साथ*, उद्यम परियोजनाओं और उनमें निवेश को बढ़ावा देने, आवास, सामाजिक कल्याण के लिए उपाय प्रदान करने, शहरी बुनियादी ढांचे सहित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने, औद्योगिकीकरण, शिपिंग उद्योग, मनोरंजन उद्योग, पूंजी बाजार के विकास के उपाय, व्यवसाय पुनर्गठन, आर्थिक विकास में तेजी लाने के उपाय, कर आधार को व्यापक बनाने, कुछ प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने और सरल बनाने और करदाता अनुकूल उपायों के उद्देश्य से।
- (iii) संपत्ति कर अधिनियम, 1957 में संशोधन।
- (iv) ब्याज-कर अधिनियम, 1974 में संशोधन।
- (v) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 में संशोधन।
- (vi) वित्त अधिनियम, 1999 में संशोधन।

2. प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते समय बताए गए कुछ अपवादों के अधीन, विधेयक इस सिद्धांत का पालन करता है कि कर कानूनों के प्रावधानों में परिवर्तन सामान्यतः वर्तमान आय के संबंध में भावी प्रभाव से लागू होने चाहिए, न कि पिछले वर्षों की आय के संबंध में। विधेयक में प्रत्यक्ष करों से संबंधित मुख्य प्रावधानों का सार निम्नलिखित अनुच्छेदों में स्पष्ट किया गया है:—

आयकर

I. कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 के लिए कर योग्य आय के संबंध में आयकर की दरें।

कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 के लिए कर हेतु उत्तरदायी सभी श्रेणियों के करदाताओं (कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट दोनों) की आय के संबंध में, आयकर की दरें विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग I में निर्दिष्ट की गई हैं और वे दरें वित्त अधिनियम, 1999 की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्धारित दरों के समान हैं, जो "अग्रिम कर" की गणना, "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती और वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान कुछ मामलों में देय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए हैं। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि सभी करदाताओं (गैर-निवासियों और विदेशी कंपनियों को छोड़कर) के मामले में इस प्रकार गणना किए गए कर में दस प्रतिशत का अधिभार बढ़ाया जाएगा। व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, व्यक्तियों के संघ और व्यक्तियों के निकाय के मामले में, अधिभार केवल उन व्यक्तियों द्वारा देय होगा जिनकी कुल आय 60,000 रुपये से अधिक है।

II. वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान "वेतन" के अलावा अन्य आय से स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान "वेतन" के अलावा अन्य आय से स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें प्रतिभूतियों पर ब्याज, "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा अन्य ब्याज, बीमा कमीशन, लॉटरी और क्रॉसवर्ड पहलियों से जीत, घुड़दौड़ से जीत और अनिवासी (अनिवासी भारतीयों सहित) की आय पर लागू होती हैं। ये दरें मोटे तौर पर वही हैं जो वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 1999 की प्रथम अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट हैं। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि कंपनियों, सहकारी समितियों, फर्मों और स्थानीय प्राधिकरणों (विदेशी कंपनियों को छोड़कर) के मामले में स्रोत पर कटौती के लिए इस प्रकार गणना किए गए कर पर दस प्रतिशत का अधिभार बढ़ाया जाएगा। व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, व्यक्तियों के संघ और व्यक्तियों के निकाय के मामले में अधिभार निम्नलिखित दरों पर देय होगा:—

कुल आय 60,000 रुपये से कम

शून्य

कुल आय 60,000 रुपये से अधिक परंतु 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं

अध्याय VIII-ए के तहत छूट के बाद देय कर का 10%

कुल आय 1,50,000 रुपये से अधिक

अध्याय VIII-ए के तहत छूट के बाद देय कर का
15%

III. वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आयकर की कटौती, "अग्रिम कर" की गणना और विशेष मामलों में आयकर वसूलने की दरें

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आयकर की कटौती और सभी श्रेणियों के करदाताओं के मामले में उस वर्ष के दौरान देय "अग्रिम कर" की गणना के लिए दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान चालू आय पर आयकर लगाने के लिए भी लागू हैं, जहां त्वरित मूल्यांकन किया जाना है, जैसे, भारत में गैर-निवासियों को होने वाले शिपिंग मुनाफे का अनंतिम मूल्यांकन, उस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन या उन व्यक्तियों का मूल्यांकन जो कर से बचने के लिए संपत्ति हस्तांतरित करने की संभावना रखते हैं, आदि। उक्त भाग III में निर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराग्राफ में इंगित की गई हैं: -

अ. व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, आदि।

प्रथम अनुसूची के भाग III का पैराग्राफ 'ए' व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, व्यक्तियों के संघ आदि के मामले में आयकर की दरें निर्दिष्ट करता है।

दर संरचना में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। हालांकि, कुल आय 60,000 रुपये से अधिक लेकिन 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होने वाले व्यक्तियों के मामले में देय कर को संघ के प्रयोजनों के लिए देय कर के दस प्रतिशत की दर से (अध्याय VIII-ए के तहत छूट की अनुमति देने के बाद) अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। कुल आय 1,50,000 रुपये से अधिक होने वाले व्यक्तियों के मामले में देय कर को संघ के प्रयोजनों के लिए देय कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से (अध्याय VIII-ए के तहत छूट की अनुमति देने के बाद) अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। 60,000 रुपये या उससे कम आय वाले व्यक्तियों द्वारा कोई अधिभार देय नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सीमांत राहत प्रदान की जाएगी कि 60,000 रुपये से अधिक की आय पर अधिभार सहित देय आयकर की अतिरिक्त राशि - उस राशि तक सीमित है जिससे आय 60,000 रुपये से अधिक है। सीमांत राहत भी प्रदान की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 1,50,000 रुपये से अधिक की आय पर अधिभार सहित देय आयकर की अतिरिक्त राशि उस राशि तक सीमित हो, जिससे आय 1,50,000 रुपये से अधिक हो।

नीचे दी गई तालिका में आय स्लैब और आयकर की दरें दी गई हैं। स्तंभ (क) विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के पैराग्राफ 'क' में दी गई दरों को निर्दिष्ट करता है; और स्तंभ (ख) विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 3 के पैराग्राफ 'क' में दी गई दरों को निर्दिष्ट करता है।

मेज़

(ए)		(बी)	
आय स्लैब	विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग I में निर्दिष्ट दरें (अर्थात्, विद्यमान दरें)	आय स्लैब	विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग-III में निर्दिष्ट दरें (अर्थात् प्रस्तावित दरें)
50,000 रुपये तक	शून्य	50,000 रुपये तक	शून्य
50,001 रुपये से 60,000 रुपये	10%	50,001 रुपये से 60,000 रुपये तक	10%
60,001 रुपये से 1,50,000 रुपये	20% #	60,001 रुपये से 1,50,000 रुपये	20% #
1,50,000 रुपये से अधिक	30% #	1,50,000 रुपये से अधिक	30% \$

इस स्लैब में आने वाले व्यक्तियों को अध्याय VIII-ए के तहत छूट के बाद देय कुल आयकर पर दस प्रतिशत अधिभार का भुगतान करना होगा।

व्यक्तियों को अध्याय VIII-ए के तहत छूट के बाद देय कुल आयकर पर पंद्रह प्रतिशत अधिभार का भुगतान करना होगा।

विभिन्न आय स्तरों पर व्यक्तियों, एचयूएफ आदि के मामले में अधिभार लगाने का प्रभाव निम्नानुसार होगा:—

कुल	मौजूदा	नई कर	अतिरिक्त	प्रतिशत
-----	--------	-------	----------	---------

आय	कर देयता	देयता	देयता में वृद्धि	वृद्धि
(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(%)
50,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
55,000	500	500	शून्य	शून्य
60,000	1,000	1,000	शून्य	शून्य
60,100	1,100 *	1,100 *	शून्य	शून्य
60,120	1,120 *	1,120 *	शून्य	शून्य
60,130	1,129	1,129	शून्य	शून्य
60,150	1,133	1,133	शून्य	शून्य
65,000	2,200	2,200	शून्य	शून्य
75,000	5,500	5,500	शून्य	शून्य
1,00,000	9,900	9,900	शून्य	शून्य
1,50,000	20,900	20,900	शून्य	शून्य
1,50,100	20,933	21,000 @	67	0.32
1,50,500	21,065	21,400 @	335	1.59
1,51,000	21,230	21,900 @	670	3.16
1,51,400	21,362	22,300 @	938	4.39
1,51,450	21,379	22,350 @	971	4.54
1,51,460	21,382	22,354	972	4.55
1,52,000	21,560	22,540	980	4.55
2,00,000	37,400	39,100	1,700	4.55
3,00,000	70,400	73,600	3,200	4.55
4,00,000	1,03,400	1,08,100	4,700	4.55
5,00,000	1,36,400	1,42,600	6,200	4.55

* सीमांत राहत यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाएगी कि 60,000 रुपये से अधिक की आय पर अधिभार सहित देय अतिरिक्त आयकर उस राशि तक सीमित हो, जिससे आय 60,000 रुपये से अधिक हो।

@ सीमांत राहत यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाएगी कि 1,50,000 रुपये से अधिक की आय पर अधिभार सहित देय अतिरिक्त आयकर उस राशि तक सीमित हो जिससे आय 1,50,000 रुपये से अधिक हो।

बी. सहकारी समितियां

सहकारी समितियों के मामले में, आयकर की दरें विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 3 के पैराग्राफ 'ख' में निर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के संगत पैराग्राफ में निर्दिष्ट दरों के समान ही हैं। तथापि, देय कर पर संघ के प्रयोजनों के लिए देय कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

सी. फर्म

फर्मों के मामले में, आयकर की दर विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैराग्राफ "ग" में निर्दिष्ट की गई है। यह दर 35 प्रतिशत ही रहेगी। हालाँकि, निवासी फर्मों द्वारा देय कर पर संघ के प्रयोजनों के लिए देय कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

D. स्थानीय प्राधिकरण

स्थानीय प्राधिकारियों के मामले में, आयकर की दर विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 3 के पैराग्राफ घ में निर्दिष्ट की गई है। यह दर विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के संगत पैराग्राफ में निर्दिष्ट दर के समान ही है। तथापि, देय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए देय कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

ई. कंपनियाँ

कंपनियों के मामले में, आयकर की दर विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैराग्राफ E में निर्दिष्ट की गई है। घरेलू कंपनियों के लिए 35 प्रतिशत और विदेशी कंपनियों के लिए 48 प्रतिशत की मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालाँकि, घरेलू कंपनियों के मामले में, देय कर पर देय कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

[खंड 2 एवं प्रथम अनुसूची]

आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन

उद्यम पूंजी को प्रोत्साहन देने के उपाय

धारा 10 में एक नया खंड (23एफबी) जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे यह प्रावधान किया जा सके कि उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि की किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में किए गए किसी निवेश से प्राप्त आय को कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी विनियमों के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा, जिसके लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।

"उद्यम पूंजी कंपनी" को ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और जो इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सेबी द्वारा, केंद्र सरकार के अनुमोदन से निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है।

"उद्यम पूंजी निधि" को इस प्रकार परिभाषित करने का प्रस्ताव है कि वह निधि पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत ट्रस्ट डीड के तहत संचालित हो तथा जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो तथा जो केंद्र सरकार के अनुमोदन से, सेबी द्वारा, इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो।

"उद्यम पूंजी उपक्रम" की परिभाषा में ऐसी घरेलू कंपनी को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके शेयर भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो सेवाएं प्रदान करने, किसी वस्तु या चीज के उत्पादन या विनिर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है, लेकिन इसमें ऐसी गतिविधियां या क्षेत्र शामिल नहीं हैं, जिन्हें इस संबंध में सेबी द्वारा आधिकारिक राजपत्र में केंद्र सरकार के अनुमोदन से निर्दिष्ट किया गया है।

उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप, मौजूदा धारा 10(23एफ) में एक सूर्यास्त खंड सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयरों के माध्यम से किए गए निवेश से उद्यम पूंजी निधि या उद्यम पूंजी कंपनी के लाभांश या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से किसी भी आय के संबंध में छूट, 31 मार्च, 2000 के बाद किए गए किसी भी निवेश के लिए उपलब्ध नहीं होगी। ऐसा निवेश धारा 10 में नए सम्मिलित खंड (23एफबी) के तहत छूट के लिए अर्ह होगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

एक नया अध्याय XII-F जोड़कर, उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि द्वारा वितरित आय पर बीस प्रतिशत की एकसमान कर दर लागू करने का भी प्रस्ताव है धारा 115U के तहत लगाया जाने वाला यह कर, उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि द्वारा देय अंतिम कर होगा।

यह भी प्रस्तावित है कि उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि किसी भी आय के संबंध में बीस प्रतिशत की दर से आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, जो कि केंद्र सरकार के अनुमोदन से, सेबी द्वारा, इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने निवेशकों को वितरित नहीं की जाती है।

यह भी प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि और उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि द्वारा वितरित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, निवेशकों को वितरित आय, उस पर भुगतान किए गए कर और अन्य प्रासंगिक विवरणों का विवरण देते हुए निर्धारित प्रपत्र और तरीके से एक विवरण दाखिल करने के लिए उत्तरदायी होगा।

एक नई धारा 115वी को शामिल करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें यह प्रावधान किया जाएगा कि यदि आय के वितरण के चौदह दिनों के भीतर धारा 115यू के तहत कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विलंबित अवधि के लिए 1.5% प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा।

एक नई धारा 115डब्ल्यू को शामिल करने का भी प्रस्ताव है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि यदि उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि और उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि द्वारा वितरित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, धारा 115यू के तहत आयकर का भुगतान केंद्र सरकार के खाते में करने में विफल रहता है, तो उसे देय कर की राशि के संबंध में चूककर्ता निर्धारित माना जाएगा और आयकर के संग्रह और वसूली के लिए इस अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2000 से प्रभावी होंगे।

आयकर अधिनियम की धारा 10(33) में परिणामी संशोधन का भी प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम के नए सम्मिलित अध्याय XII-एफ में निर्दिष्ट उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि से आय को निवेशक की कुल आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5(डी), 5(ई), 5(जी) और 54]

और औद्योगीकरण के लिए प्रोत्साहन

शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल उपचार प्रणालियों को कर छूट प्रदान की गई

आयकर अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत, सड़क, राजमार्ग, पुल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेल प्रणाली या इसी तरह की किसी अन्य सार्वजनिक सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाओं का संचालन और रखरखाव करने वाली किसी कंपनी या कंपनियों के संघ को पाँच साल का कर अवकाश और उसके बाद के पाँच वर्षों (प्रारंभिक पंद्रह वर्षों की अवधि के भीतर) में 30% की कटौती की अनुमति है। जल आपूर्ति परियोजनाएँ, सिंचाई परियोजनाएँ, स्वच्छता और सीवेज प्रणालियाँ भी इन प्रावधानों के तहत बुनियादी सुविधाओं का हिस्सा हैं।

देश को जन स्वास्थ्य सहित शहरी बुनियादी ढाँचे के क्षेत्रों में बड़े निवेश की आवश्यकता है। ऐसी सुविधाओं के संचालन हेतु वाणिज्यिक उद्यमों को आकर्षित करने के लिए, विधेयक में कर छूट का लाभ अन्य बुनियादी ढाँचा सुविधाओं, जैसे जल उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों, पर भी लागू करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[धारा 35]

बुनियादी ढाँचा पूंजी निधि

धारा 10 के खंड (23जी) में यह प्रावधान है कि किसी अवसंरचना पूंजी निधि या अवसंरचना पूंजी कंपनी की ब्याज, लाभांश (धारा 115-ओ में निर्दिष्ट लाभांश के अलावा) और इक्विटी या दीर्घकालिक वित्त के माध्यम से किए गए निवेश से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में किसी अनुमोदित उद्यम में जो पूरी तरह से (i) विकास, (ii) रखरखाव और संचालन या (iii) अवसंरचना सुविधा के विकास, रखरखाव और संचालन के व्यवसाय में लगा हुआ है, कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

अवसंरचना विकास को गति प्रदान करने के लिए, धारा 80-आईए की उप-धारा (4) में परिभाषित 'अवसंरचना सुविधा' शब्द का दायरा बढ़ाकर 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' और 'जल उपचार' को भी इसके दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव है। परिणामस्वरूप, अवसंरचना पूंजी निधि या अवसंरचना पूंजी कंपनी द्वारा इन अवसंरचना सुविधाओं के विकास में पूर्णतः संलग्न किसी उद्यम में निवेश से प्राप्त आय कर-मुक्त होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) और (ख) में भी संशोधन का प्रस्ताव है ताकि अवसंरचना पूंजी कंपनी और अवसंरचना पूंजी निधि की परिभाषा को उक्त खंड के अनुरूप बनाया जा सके। ये संशोधन वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा धारा 10(23जी) में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप हैं।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2000 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5(एफ)]

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी कुछ बांडों पर कर छूट

स्थानीय प्राधिकरणों, जैसे नगर निगम, नगरपालिका प्राधिकरण आदि को शहरी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं जैसे पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़कें, पुल और फ्लाइओवर, शहरी परिवहन आदि के वित्तपोषण के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है।

धारा 10 का खंड (15) कुछ मामलों में देय ब्याज से छूट प्रदान करता है। स्थानीय प्राधिकरणों को शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु धनराशि प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, ऐसे प्राधिकरणों द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाले ऐसे बांडों पर ब्याज को कर-मुक्त दर्जा देने का प्रस्ताव है। इन बांडों को केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5(बी)]

चैरिटेबल ट्रस्टों को शहरी बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त में धन निवेश करने की अनुमति दी गई

धारा 11 की उपधारा (5) के खंड (ix) के मौजूदा प्रावधानों के तहत, भारत में गठित या पंजीकृत किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किए गए किसी बांड में जमा या निवेश, जिसका मुख्य उद्देश्य आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों के निर्माण के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने का व्यवसाय करना है, ट्रस्टों के लिए पात्र निवेश के रूप में शामिल किया गया है।

उप-धारा में एक नया खंड जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि शहरी अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार को चलाने के मुख्य उद्देश्य से भारत में गठित और पंजीकृत सार्वजनिक कंपनियों में निवेश को भी निवेश के पात्र तरीकों में से एक के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

[खंड 8]

औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों और औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थापित उपक्रमों के संबंध में कर छूट 31-3-2002 तक बढ़ा दी गई

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईबी के मौजूदा प्रावधानों के तहत, किसी नए औद्योगिक उपक्रम, या किसी जहाज या किसी होटल के व्यवसाय से प्राप्त लाभ के संबंध में, कर योग्य आय की गणना में कटौती की अनुमति है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, वित्त अधिनियम, 1993 ने आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के लिए पाँच साल की कर छूट प्रदान की थी, जिन्होंने 1 अप्रैल, 1993 को या उसके बाद विनिर्माण या उत्पादन शुरू किया था। पहले पाँच वर्षों के बाद, कंपनियों के मामले में 30% की कटौती (अन्य करदाताओं के मामले में 25%) अगले पाँच वर्षों के लिए अनुमत है। औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में 31 मार्च, 2000 के बाद विनिर्माण या उत्पादन शुरू करने वाले उपक्रम दो-स्तरीय लाभ के हकदार नहीं होंगे। इसी प्रकार, अधिसूचित औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थापित उपक्रमों के लिए पाँच साल की कर छूट उपलब्ध है, जो 1-10-94 के बाद लेकिन 31-3-2000 को या उससे पहले विनिर्माण या उत्पादन शुरू करते हैं।

विधेयक में आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थापित उन उपक्रमों को कर छूट देने का प्रस्ताव है जो 31-3-2000 के बाद लेकिन 31-3-2002 से पहले विनिर्माण या उत्पादन शुरू करते हैं। इसी प्रकार, औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थापित उपक्रमों को भी 31-3-2002 तक कर छूट देने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 36(बी) और 36(सी)]

नए लघु उद्योगों के लिए राजकोषीय लाभ

धारा 80-आईबी के मौजूदा प्रावधानों के तहत, 1 अप्रैल, 1995 और 31 मार्च, 2000 के बीच उत्पादन शुरू करने वाली लघु इकाइयों को दस वर्षों की अवधि के लिए लाभ का 25% (कंपनियों के लिए 30%) की कटौती की अनुमति है। उदारीकरण के मद्देनजर, लघु उद्योग क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। विधेयक में धारा 80-आईबी में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि 31 मार्च, 2000 के बाद भी उत्पादन शुरू करने वाली लघु उद्योगों को मौजूदा रियायतें जारी रखी जा सकें। 31-3-2002 को या उससे पहले स्थापित इकाइयाँ इस लाभ के लिए पात्र होंगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 36(ए)]

शिपिंग उद्योग के लिए प्रोत्साहन

धारा 33एसी के मौजूदा प्रावधानों के तहत, जहाजों के संचालन का व्यवसाय करने वाली सरकारी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी को कुछ शर्तों के अधीन, जहाजों के संचालन के व्यवसाय से प्राप्त लाभ के 50% से अधिक राशि की कटौती की अनुमति नहीं है।

शिपिंग उद्योग को बेड़े के विस्तार, अधिग्रहण और आधुनिकीकरण में सक्षम बनाने के लिए विधेयक में पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसे व्यवसाय से प्राप्त सम्पूर्ण लाभ पर मौजूदा कटौती को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2005-2006 तक लागू होगा।

[खंड 14]

पूँजी बाजार के विकास के उपाय

निवेशक संरक्षण निधि की आय पर छूट

वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के निर्देशों के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों को एक निवेशक सुरक्षा कोष (आईपीएफ) स्थापित करना

आवश्यक है। यह कोष विशेष रूप से उन निवेशकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, जिन्हें संबंधित स्टॉक एक्सचेंज में किसी ब्रोकर द्वारा चूक की स्थिति में नुकसान हो सकता है।

मौजूदा प्रावधानों के तहत, धारा 10(23ई) में प्रावधान है कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापित अधिसूचित विनिमय जोखिम प्रशासन निधि की आय आयकर से मुक्त है।

इसी प्रकार, यह प्रस्ताव है कि भारत के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा स्थापित निवेशक संरक्षण निधि की आय को कुल आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा।

तथापि, जहां निधि में जमा कोई राशि, जिस पर किसी पूर्व वर्ष के दौरान आयकर नहीं लगाया गया है, किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के साथ पूर्णतः या आंशिक रूप से साझा की जाती है, वहां साझा की गई राशि उस पूर्व वर्ष की आय मानी जाएगी जिसमें ऐसी राशि साझा की गई थी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5(सी)]

प्रतिभूतियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की रियायती दर को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इकाइयों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों तक बढ़ाया गया

आयकर अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (1) के प्रावधान में निहित मौजूदा प्रावधानों के तहत, सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के समायोजन की अनुमति देने से पहले पूंजीगत लाभ के 10% से अधिक नहीं होगा। प्रतिभूतियों की परिभाषा, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (एच) में दी गई परिभाषा के अनुसार है। उपरोक्त परिभाषा के तहत यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड की इकाइयों की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

इसलिए, धारा 112 की उपधारा (1) के प्रावधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 10(23डी) के तहत निर्दिष्ट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इकाइयों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के साथ-साथ प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 में परिभाषित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के लिए समायोजन की अनुमति देने से पहले पूंजीगत लाभ के 10% से अधिक नहीं होगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2000 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा।

[धारा 46]

आवास को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन

आवास परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईबी के मौजूदा प्रावधानों के तहत, अनुमोदित आवास परियोजनाओं से प्राप्त लाभ के संबंध में कर योग्य आय की गणना में कटौती की अनुमति है, जहां करदाता 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद आवास परियोजना का विकास और निर्माण शुरू करता है और 31 मार्च, 2001 से पहले इसे पूरा करता है।

नई आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन जारी रखने के लिए, यह प्रस्ताव किया गया है कि 31-3-2001 तक स्वीकृत और 31-3-2003 से पहले पूरी हो जाने वाली आवासीय परियोजनाएं, प्रावधान के मौजूदा लाभ का दावा करने में सक्षम होंगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 36(डी)]

धारा 54एफ के दायरे का विस्तार

आयकर अधिनियम की धारा 54F किसी भी दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति (आवासीय घर को छोड़कर) के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट प्रदान करती है, बशर्ते कि वह आवासीय घर में निवेश किया गया हो। हालांकि, एक शर्त यह है कि यदि हस्तांतरण की तिथि पर कोई घर मौजूद है या यदि व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर दूसरा घर खरीदता है, तो उपरोक्त छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। उपरोक्त शर्त बड़ी संख्या में करदाताओं को धारा 54F के तहत कटौती का लाभ उठाने से रोकती है। मौजूदा घर एक छोटा घर या किराए का घर हो सकता है जिसे कड़े किरायेदारी कानूनों के कारण बेचना मुश्किल है या ऐसा घर हो सकता है जिसे खरीदार न मिलने या बाजार कीमतों में गिरावट के कारण बेचा नहीं जा सकता। इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 54F में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि इस धारा के तहत कटौती किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को तब तक उपलब्ध हो सकती है जब तक उसके पास एक घर हो और हस्तांतरण की तिथि पर एक से अधिक घर मौजूद न हों। अन्य शर्तें समान रहेंगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 25]

स्व-अधिभोग गृह संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की बढ़ी हुई कटौती के संबंध में अंतिम तिथि का विस्तार

वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा, स्व-अधिभोग वाली आवासीय संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के लिए उपलब्ध कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया था, बशर्ते ऋण 1-4-1999 को या उसके बाद लिया गया हो और संबंधित आवास का निर्माण या अधिग्रहण 1-4-2001 से पहले पूरा हो गया हो। इस अंतिम तिथि को 31-3-2003 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि इसे धारा 80-आईबी के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सह-समाप्त किया जा सके, जहाँ कर अवकाश उन आवास परियोजनाओं को दिया जा रहा है जो 31-3-2001 तक स्वीकृत हैं और 31-3-2003 तक पूरी हो गई हैं।

प्रस्तावित संशोधन 1-4-2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 11]

छूट के लिए पात्र आवास ऋण की पुनर्भुगतान सीमा बढ़ाकर 20,000 रुपये की गई

धारा 88 के मौजूदा प्रावधानों के तहत, निर्दिष्ट बचतों में किए गए योगदान पर निवेशित राशि पर बीस प्रतिशत की कर छूट या 60,000 रुपये (या बुनियादी ढाँचे के बॉन्ड में निवेश करने पर 70,000 रुपये), जो भी कम हो, पर कर छूट मिलती है। आवासीय घर की खरीद या निर्माण के लिए ऋण राशि का पुनर्भुगतान 10,000 रुपये तक किया जा सकता है।

प्रावधान की उपधारा (5) में छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पुनर्भुगतान की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[धारा 43]

मनोरंजन उद्योग को कर प्रोत्साहन

गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं को निर्यात लाभ प्रदान किया गया

धारा 80एचएचएफ के मौजूदा प्रावधानों के तहत, फिल्म सॉफ्टवेयर, टेलीविजन सॉफ्टवेयर, संगीत सॉफ्टवेयर और टेलीविजन समाचार सॉफ्टवेयर के निर्यात या हस्तांतरण के कारोबार में लगे कॉर्पोरेट करदाता, जिसमें प्रसारण अधिकार भी शामिल हैं, परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त लाभ की कटौती के हकदार हैं। कंपनियों के अलावा अन्य करदाताओं को भी पूर्वव्यापी संशोधन के माध्यम से लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2000 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[धारा 34]

फिल्म निर्माताओं द्वारा बयान प्रस्तुत करने की सीमा में वृद्धि

धारा 285बी के तहत, सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों के निर्माता को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर या फिल्म के पूरा होने की तारीख से, जो भी पहले हो, एक विवरण प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसके द्वारा किए गए या उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को देय कुल 25,000 रुपये से अधिक के सभी भुगतानों का विवरण होगा।

फिल्म उद्योग की मांग के जवाब में विधेयक में मौद्रिक सीमा को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[धारा 67]

मानव संसाधन विकास के लिए प्रोत्साहन

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र द्वारा लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 80ई उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने वाले छात्रों को राहत प्रदान करती है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा या प्रबंधन की किसी भी शाखा में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए लिए गए ऋण की राशि के पुनर्भुगतान पर सकल कुल आय से एक वर्ष में अधिकतम पच्चीस हजार रुपये तक की कटौती की अनुमति है। कटौती का पहला वर्ष वह वर्ष होता है जब व्यक्ति ऋण चुकाना शुरू करता है। यह कटौती अधिकतम आठ वर्षों की अवधि के लिए या ऐसे ऋणों के मूलधन और ब्याज के भुगतान तक दी जाती है।

विधेयक में कटौती की सीमा पच्चीस हजार रुपये से बढ़ाकर चालीस हजार रुपये करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 27]

खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

आयकर अधिनियम की धारा 80जी के मौजूदा प्रावधानों के तहत, किसी करदाता को उसके द्वारा कुछ निधियों में दिए गए दान के संबंध में उसकी कुल आय से 100% कटौती की अनुमति है।

देश में खेलों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और उनके प्रायोजन के लिए, भारतीय ओलंपिक संघ को दान की गई राशि के लिए एक कंपनी के रूप में करदाता को 100% कटौती का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 28]

कर आधार बढ़ाने के उपाय

"कृषि आय" की परिभाषा

आयकर अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत, आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (1) के प्रावधानों के अनुसार कुल आय की गणना में कृषि आय को शामिल नहीं किया जाता है। 'कृषि आय' शब्द को आयकर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1ए) में परिभाषित किया गया है। इस उपधारा के खंड (सी) के प्रावधानों में कृषि आय की परिभाषा के अंतर्गत, किसी ऐसी भूमि के किराए या राजस्व के प्राप्तकर्ता के स्वामित्व और कब्जे में या कृषक या वस्तु-भाड़े के प्राप्तकर्ता के कब्जे में किसी भवन से प्राप्त कोई आय, या कोई ऐसी भूमि जिसके संबंध में या उसके उत्पाद को विपणन योग्य बनाने के लिए कोई प्रक्रिया की जाती है, शामिल है, यदि ऐसा भवन भूमि पर या उसके तत्काल आसपास में है और कृषक या वस्तु-भाड़े के प्राप्तकर्ता को भवन की आवश्यकता आवास गृह या भंडार गृह या अन्य बाहरी भवन के रूप में है।

स्पष्टीकरण जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि ऐसे भवन या भूमि से कृषि के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली आय "कृषि आय" की परिभाषा में शामिल नहीं की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए किराए पर देने या किसी व्यवसाय या पेशे के लिए करने से आय होती है, तो ऐसी आय को कृषि आय नहीं माना जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 3(ए)]

केंद्र सरकार को उन व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों को अधिसूचित करने की शक्ति सौंपी गई है जिनके लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 139ए की उपधारा (1) उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिनमें पैन के लिए आवेदन करना अनिवार्य है और साथ ही उन परिस्थितियों को भी निर्धारित करती है जिनमें पैन अन्यथा आवंटित किया जा सकता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में पैन के लिए आवेदन करना अनिवार्य है,—

- (i) ऐसे व्यक्ति जिनकी कर योग्य आय छूट की सीमा से अधिक है;
- (ii) कोई व्यवसाय या पेशा चलाने वाले व्यक्ति, जहां किसी भी पिछले वर्ष में कुल बिक्री या टर्नओवर या सकल प्राप्तियां 5 लाख रुपये से अधिक हैं।
- (iii) कोई भी व्यक्ति जो धारा 139(4ए) के तहत ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय प्राप्त करता है।

इसके अतिरिक्त, कर निर्धारण अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को भी पैन आवंटित कर सकता है जिस पर कर देय है। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति पैन आवंटन के लिए कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकता है और उसे पैन आवंटित कर दिया जाएगा।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा विदेश व्यापार महानिदेशक जैसे अन्य विभागों के लिए पैन को उत्तरोत्तर एक सामान्य व्यवसाय पहचान संख्या बनाने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों को अधिसूचित करने की शक्ति सौंपने का प्रस्ताव है, जिनके लिए पैन के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा, बशर्ते कि उनके द्वारा आयकर अधिनियम के तहत कर देय हो या किसी अन्य लागू कानून के तहत उनके द्वारा कोई कर या शुल्क देय हो।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2000 से प्रभावी होगा।

[खंड 55]

कल्याणकारी उपाय

वरिष्ठ नागरिकों के मामले में आयकर में छूट

आयकर अधिनियम की धारा 88बी में भारत में रहने वाले उन व्यक्तिगत निवासियों को, जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर लेते हैं, आयकर के सौ प्रतिशत के बराबर राशि या दस हजार रुपये की राशि, जो भी कम हो, की छूट के रूप में विशेष कर राहत का प्रावधान है।

वरिष्ठ नागरिकों को यह छूट वृद्धावस्था देखभाल और चिकित्सा व्यय की बढ़ती लागत को पूरा करने में मदद के लिए प्रदान की गई है।

विधेयक में ऐसे व्यक्तियों के मामले में मौजूदा कर छूट को दस हजार रुपये से बढ़ाकर पंद्रह हजार रुपये करने का प्रस्ताव है, जबकि प्रावधान की अन्य आवश्यकताओं को बरकरार रखा गया है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[धारा 44]

महिलाओं के लिए कर छूट

महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए, आयकर अधिनियम में धारा 88सी नामक एक नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव है। इस प्रावधान के तहत, एक महिला करदाता, जिसने पिछले वर्ष में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, ऐसे आयकर के बराबर राशि या पाँच हजार रुपये की राशि, जो भी कम हो, कर छूट की हकदार होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 42 और 45]

करदाता अनुकूल उपाय

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि की छूट

आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (10सी) के मौजूदा प्रावधानों के तहत, कंपनियों, प्राधिकरणों आदि के कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय किसी भी योजना या योजनाओं के अनुसार प्राप्त की गई कोई भी राशि आयकर से मुक्त है।

प्रस्तावित संशोधन में इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के तहत अपनी सेवाएं समाप्त होने पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के कर्मचारियों को छूट प्रदान करके छूट के दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

मौजूदा प्रावधानों के तहत, धारा 10(10सी) के पहले प्रावधान में कहा गया है कि कंपनियों (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या सहकारी समितियों को छोड़कर) से संबंधित योजना को मुख्य आयकर आयुक्त या महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत प्राप्त राशि पर छूट से संबंधित प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए, इस तरह के अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5 (ए)]

अनवशोषित मूल्यहास के समायोजन हेतु उसी व्यवसाय को जारी रखने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

धारा 32 की उप-धारा (2) में निहित मौजूदा प्रावधानों के तहत, आगे ले जाए गए अनवशोषित मूल्यहास को आगामी वर्ष के व्यवसाय या पेशे के लाभों और अभिलाभों के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति है, बशर्ते कि वह व्यवसाय या पेशा जिसके लिए मूल रूप से मूल्यहास भत्ते की गणना की गई थी, उस वर्ष भी जारी रहे। अनवशोषित व्यावसायिक हानि को आगे ले जाने और समायोजित करने के प्रयोजनों के लिए धारा 72 में इसी प्रकार की शर्त पिछले वर्ष हटा दी गई थी।

अनवशोषित मूल्यहास और अनवशोषित व्यवसाय हानि को आगे ले जाने और समायोजित करने से संबंधित प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से, विधेयक में अनवशोषित मूल्यहास को आगे ले जाने और समायोजित करने के प्रयोजनों के लिए उसी व्यवसाय को जारी रखने की शर्त को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 13]

यदि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश के दौरान तीन वर्षों तक धनराशि निवेशित रहती है तो चैरिटेबल ट्रस्ट को छूट नहीं मिलेगी।

मौजूदा प्रावधानों के तहत, किसी ट्रस्ट के अधीन रखी गई और पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति से होने वाली आय आयकर से मुक्त है। यह छूट आय के केवल उस हिस्से तक सीमित है जो धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है या ऐसे उद्देश्यों के लिए संचित किया

जाता है, बशर्ते कि ऐसा संचयन ट्रस्ट की कुल आय के 25% से अधिक न हो।

धारा 11 की उपधारा (2) के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि इस प्रकार संचित या अलग रखी गई धनराशि को धारा 11 की उपधारा (5) में उल्लिखित निर्दिष्ट रूपों या तरीकों में निवेश या जमा किया जाना चाहिए।

धारा 11 की उप-धारा (5) के खंड (vii) के प्रावधानों के अंतर्गत, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में निवेश या जमा को धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए निवेश के एक पात्र तरीके के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यदि कोई ट्रस्ट सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी के शेयर रखता है, तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा विनिवेश के बाद, कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं रह सकती है।

इस खंड के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में निवेश या जमा, तीन वर्ष की अवधि के लिए (शेयरों के मामले में) धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्टों के लिए निवेश के पात्र तरीकों में से एक बना रहेगा, तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी न रहने की तिथि से अन्य निवेश या जमा की परिपक्वता की तिथि तक जारी रहेगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 8]

यदि निर्दिष्ट व्यक्तियों को शैक्षिक या चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो चैरिटेबल ट्रस्टों को छूट नहीं मिलेगी

मौजूदा प्रावधानों में यह प्रावधान है कि किसी धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट की आय उपलब्ध नहीं होगी, यदि ऐसी आय का कोई भाग या ट्रस्ट की कोई संपत्ति किसी व्यक्ति जैसे कि ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी या ऐसे व्यक्तियों के किसी रिश्तेदार या किसी ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें ऐसे व्यक्तियों का पर्याप्त हित हो (निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में संदर्भित) के लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग या लागू की जाती है।

धारा 13 में एक नई उपधारा जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि शैक्षणिक संस्थान या चिकित्सा संस्थान या अस्पताल चलाने वाले ट्रस्ट को निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रदान की गई शैक्षणिक या चिकित्सा सुविधाओं के लाभों के मूल्य के अलावा किसी अन्य आय की छूट का लाभ केवल इस आधार पर नहीं खोना होगा कि ऐसे लाभ निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 9 और 10]

बाह्य वाणिज्यिक उधार पर ब्याज से छूट

मौजूदा प्रावधानों के तहत, आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (15) के उप-खंड (iv) में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना में कुछ ब्याज आय को शामिल नहीं किया जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि धारा 10(15)(iv) में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाए कि ऋण की देरी से चुकौती या चूक पर चुकाए गए ब्याज को कुल आय की गणना करते समय छूट नहीं दी जाएगी। इससे इस उप-धारा के तहत चुकाए गए ब्याज पर कर कटौती से छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5(बी)]

व्यवसाय पुनर्गठन

वित्त अधिनियम, 1999 में विभाजन, एकीकरण और स्लाम्प सेल से संबंधित व्यापक संशोधन किए गए। इनमें से कुछ प्रावधानों को स्पष्टता और कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है।

विभाजन में स्थानांतरण के संबंध में समायोजन का आधार लिखित मूल्य होगा

स्पष्टीकरण 2ए और 2बी में निहित मौजूदा प्रावधानों के तहत, जब परिसंपत्तियों का समूह अलग हुई कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को हस्तांतरित किया जाता है, तो अलग हुई कंपनी की परिसंपत्तियों के समूह के ठीक पिछले वर्ष के लिखित मूल्य में से हस्तांतरित परिसंपत्तियों के बही मूल्य को घटा दिया जाता है। स्पष्टीकरण 2बी में, यह प्रावधान किया गया है कि इसी स्थिति में, परिणामी कंपनी के मामले में परिसंपत्तियों के समूह का लिखित मूल्य, अलग होने से ठीक पहले अलग हुई कंपनी की पुस्तकों में दिखाई देने वाली परिसंपत्तियों का मूल्य होगा। हालांकि, यदि परिसंपत्तियों का ऐसा बही मूल्य उनके लिखित मूल्य से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि को कम कर दिया जाएगा। उपरोक्त प्रावधान अलग हुई कंपनी के प्रति भेदभावपूर्ण पाया गया है, जिसे वास्तविक लागत के एक हिस्से पर मूल्यहास से वंचित कर दिया गया है।

यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि हस्तांतरित की जा रही परिसंपत्तियों का लिखित मूल्य, विलीन कंपनी के साथ-साथ परिणामी कंपनी के हाथों में समायोजन का एकसमान आधार होगा।

[खंड 17]

भारतीय कंपनी के शेयर धारण करने वाली विदेशी कंपनी के विभाजन के लिए प्रदान की गई शर्त को भारतीय कंपनी के विभाजन से संबंधित समान शर्त के समान बनाया गया है।

धारा 47 के खंड (vi) के उप-खंड (a) में निहित विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत, भारतीय कंपनी में शेयर धारण करने वाली किसी विदेशी कंपनी के विभाजन की स्थिति में, यदि विभाजन वाली विदेशी कंपनी के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत शेयरधारक परिणामी विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहते हैं, तो पूंजीगत लाभ की कोई देयता नहीं होगी। "कम से कम पचहत्तर प्रतिशत शेयरधारक" की उपरोक्त शर्त, विभाजन की परिभाषा से संबंधित धारा 2 के खंड (19AA) के उप-खंड (v) में प्रदत्त समान शर्त से भिन्न है, जो "शेयरों के मूल्य का तीन-चौथाई" निर्धारित है।

इसलिए, शेयरों के मूल्य में तीन-चौथाई की समान अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए धारा 47 के खंड (वीआईसी) में उप-खंड (ए) को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

[खंड 19]

विलय में परिसंपत्तियों के मूल्य के संबंध में स्पष्टीकरण

धारा 72ए की उप-धारा (2) के खंड (i) में समामेलन से संबंधित मौजूदा प्रावधानों में कहा गया है कि समामेलित कंपनी, समामेलन योजना में अधिग्रहीत की जा रही समामेलक कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्य का कम से कम तीन-चौथाई हिस्सा न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि तक लगातार धारण करेगी। 'मूल्य' और 'परिसंपत्तियों' के सटीक अर्थ के बारे में प्रश्न उठाए गए हैं, विशेष रूप से यह कि क्या परिसंपत्तियों में वर्तमान परिसंपत्तियाँ शामिल होंगी, जो दिन-प्रतिदिन बदलती रहती हैं।

इसलिए, यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि इस खंड में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों का अर्थ 'स्थायी परिसंपत्तियाँ' तथा मूल्य का अर्थ 'बही मूल्य' होगा।

[खंड 26]

मंदा की बिक्री के मामले में "नेट वर्थ" की परिभाषा में संशोधन

आयकर अधिनियम की धारा 50बी की उपधारा (2) में निहित मौजूदा प्रावधानों के तहत, मंदा बिक्री के माध्यम से स्थानांतरित उपक्रम या प्रभाग के पूंजीगत लाभ के संबंध में अधिग्रहण की लागत और सुधार की लागत पूंजीगत लाभ की गणना के प्रयोजन के लिए उपक्रम या प्रभाग का "निवल मूल्य" होगा। धारा के स्पष्टीकरण में 'निवल मूल्य' को *रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अनुसार परिभाषित किया गया* है। बाद में अधिसूचित प्रपत्र संख्या 3सीईए में यह प्रावधान किया गया है कि उपक्रम या प्रभाग का 'निवल मूल्य' अचल संपत्तियों के आधार पर आनुपातिक तरीके से हस्तांतरणकर्ता कंपनी के निवल मूल्य से प्राप्त किया जाएगा। यह बताया गया है कि निवल मूल्य की गणना करने की उपरोक्त विधि सभी मामलों में उपयुक्त नहीं होगी। इसके अलावा, यह मंदा बिक्री करने वाली गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू नहीं होता है।

इसलिए, 'निवल संपत्ति' की परिभाषा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। अब इसे धारा 43(6)(सी)(आई)(सी) के अनुसार हस्तांतरणकर्ता कंपनी की परिसंपत्तियों के समूह से घटाई गई मूल्यहास योग्य परिसंपत्तियों की लागत और लेखा पुस्तकों में दर्शाई गई अन्य हस्तांतरित परिसंपत्तियों के मूल्य, किसी भी पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर, के योग के रूप में परिभाषित किया जाएगा। इससे देनदारियों का मूल्य कम हो जाएगा।

[खंड 21]

किसी प्राधिकरण या निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के विभाजन या पुनर्निर्माण से उत्पन्न इकाइयों को अलग-अलग शर्तों के अधीन विभाजन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, जिन्हें अधिसूचित किया जाएगा।

आयकर अधिनियम की धारा 2(19AA) के स्पष्टीकरण 4 में पहले ही यह प्रावधान किया गया है कि किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत गठित किसी प्राधिकरण या निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का अलग-अलग निकायों या प्राधिकरणों में विभाजन या पुनर्गठन, उप-खंड (i) से (vii) में निर्दिष्ट शर्तों को, जहाँ तक लागू हो, पूरा करने पर विभाजन माना जाएगा। यह बताया गया है कि इन प्राधिकरणों, निकायों या कंपनियों के विभाजन के मामले में, धारा में निर्दिष्ट शर्तें पूरी करना प्रासंगिक नहीं भी हो सकता है।

इसलिए, यह प्रस्ताव है कि ऐसा विभाजन या पुनर्निर्माण उन शर्तों के अधीन होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

¹ अग्रेल, 2000 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होंगे, तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 3]

छूट, रियायतों
और अन्य प्रावधानों का युक्तिकरण

विदेशी मुद्रा आय के संबंध में कर रियायतों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना - धारा 10ए, 10बी, 80एचएचबी, 80एचएचबीए, 80एचएचसी, 80एचएचडी, 80एचएचई, 80एचएचएफ, 80-ओ, 80आर, 80आरआर और 80आरआरए।

बहुत सी राजकोषीय रियायतें कम कर दरों वाली व्यवस्था के अनुकूल नहीं हैं। अधिकांश अन्य देशों में प्रचलित कर प्रणालियों के साथ कर प्रणाली को व्यापक रूप से संरेखित करने के लिए, विदेशी मुद्रा आय के संबंध में कटौतियों से संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है।

आयकर अधिनियम की धारा 10ए के तहत, मुक्त व्यापार क्षेत्रों में नव स्थापित उपक्रमों को दस वर्ष की अवधि के लिए कर छूट का अधिकार है। इसी प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा 10बी नव स्थापित शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रमों के संबंध में दस वर्ष की कर छूट का प्रावधान करती है।

आयकर अधिनियम का अध्याय-VIA, विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में आय के लिए राजकोषीय रियायतें प्रदान करता है। आयकर अधिनियम की धारा 80HHC, 80HHE और 80-ओ के अंतर्गत, कोई भी करदाता, जो एक भारतीय कंपनी या कोई व्यक्ति (कंपनी के अलावा) है और भारत में निवासी है और जिसने किसी वैश्विक निविदा के आधार पर उसे प्रदान की गई किसी विदेशी परियोजना या आवास परियोजना के व्यवसाय से, या पेटेंट, कॉपीराइट आदि के उपयोग से आय अर्जित की है, आय के पचास प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती का हकदार है।

इसी प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा 80एचएचसी, 80एचएचई और 80एचएचएफ के मौजूदा प्रावधानों के तहत, एक करदाता, जो एक भारतीय कंपनी या एक व्यक्ति (कंपनी के अलावा) है जो भारत में निवासी है, जो माल या माल के निर्यात, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और फिल्मों आदि के निर्यात के कारोबार में लगा हुआ है, उसे ऐसे निर्यात से प्राप्त लाभ की कटौती की अनुमति है।

आयकर अधिनियम की धारा 80एचएचडी के तहत, एक करदाता, जो एक भारतीय कंपनी या एक व्यक्ति (कंपनी के अलावा) है जो भारत में निवासी है, एक होटल या एक टूर ऑपरेटर या एक ट्रेवल एजेंट के व्यवसाय में लगा हुआ है, को उसकी कुल आय की गणना करने में, निम्नलिखित राशि के बराबर कटौती की अनुमति है

(i) विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त लाभ का पचास प्रतिशत; और

(ii) लाभ का उतना भाग जो उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट रीति से उपयोग किए जाने के लिए आरक्षित निधि में जमा किया जाता है।

आयकर अधिनियम की धारा 80आर के अंतर्गत, भारत के बाहर सेवा प्रदान करने वाला कोई प्रोफेसर, शिक्षक या शोधकर्मी, अपनी कर-योग्य आय की गणना करते समय, किसी विदेशी विश्वविद्यालय, संस्थान आदि से प्राप्त पारिश्रमिक में से कटौती का हकदार है। यह कटौती ऐसे पारिश्रमिक के पचहत्तर प्रतिशत के बराबर राशि पर लागू होती है।

धारा 80आरआर के अंतर्गत, कलाकार, नाटककार, संगीतकार, अभिनेता आदि को अपने पेशे के माध्यम से विदेशी स्रोत से आय प्राप्त करने पर समान कटौती उपलब्ध है।

भारत के बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेशी नियुक्ता से पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी धारा 80आरआरए के तहत इसी प्रकार की कटौती उपलब्ध है।

उपरोक्त सभी लाभों को पाँच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसका अर्थ यह होगा कि धारा 80HHC, 80HHE और 80HHF के प्रावधानों के अंतर्गत, करदाता कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 में अस्सी प्रतिशत, कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 में साठ प्रतिशत, कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 में चालीस प्रतिशत और कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 में बीस प्रतिशत की कटौती का हकदार होगा।

धारा 80एचएचबी, 80एचएचबीए और 80-ओ के अंतर्गत करदाता कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 में चालीस प्रतिशत, कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 में तीस प्रतिशत, कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 में बीस प्रतिशत तथा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 में दस प्रतिशत की कटौती का हकदार होगा।

उन मामलों में जहां व्यक्तिगत करदाता पचहत्तर प्रतिशत की कटौती के हकदार हैं, कटौती कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 में साठ प्रतिशत, कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 में पैंतालिस प्रतिशत, कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 में तीस प्रतिशत तथा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 में पंद्रह प्रतिशत होगी।

कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 और उसके बाद के वर्षों से इनमें से किसी भी प्रावधान के अंतर्गत कोई कटौती उपलब्ध नहीं होगी।

आयकर अधिनियम की धारा 10ए या 10बी के तहत छूट को 31-3-2000 को या उससे पहले मुक्त व्यापार क्षेत्रों या निर्यातोन्मुख इकाइयों में स्थापित इकाइयों तक सीमित करने का भी प्रस्ताव है। केवल 1-4-2000 से पहले स्थापित इकाइयाँ ही शेष अवधि के लिए छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी। हालाँकि, 1-4-2000 को या उसके बाद स्थापित मुक्त व्यापार क्षेत्रों या निर्यातोन्मुख इकाइयों में स्थित इकाइयाँ, धारा 80एचएचसी या धारा 80एचएचई के संशोधित प्रावधानों के तहत उपलब्ध लाभों का लाभ उठा सकती हैं, जैसा भी मामला हो।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर

चूंकि शून्य कर कंपनियों और सीमांत कर देने वाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई थी, इसलिए कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाया गया। विभिन्न क्षेत्रों को एमएटी और क्रेडिट प्रणाली के संचालन से बाहर रखे जाने के कारण मौजूदा प्रावधान की प्रभावशीलता कम हो गई है। इससे कानूनी जटिलताएँ भी पैदा हुई हैं। इसलिए, मौजूदा प्रावधान में एक सनसेट क्लॉज़ जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि यह कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 के बाद लागू न हो।

इसके स्थान पर एक नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसका अनुप्रयोग सरल होगा।

नए प्रावधानों में यह प्रावधान है कि कंपनी अधिनियम के तहत अनुसूची-VI के भाग-II और भाग-III के अनुसार तैयार किए गए बुक प्रॉफिट वाली सभी कंपनियां, बुक प्रॉफिट के 10.5% की मौजूदा प्रभावी दर की तुलना में 7.5% की कम दर पर न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगी। ये प्रावधान बिना किसी अपवाद के सभी कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू होंगे। हालांकि, धारा 80HHC, 80HHE और 80HHF के तहत निर्यात लाभ को उन प्रावधानों के तहत उपलब्ध कटौतियों के चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने की अवधि के दौरान इस प्रावधान के दायरे से बाहर रखा गया है। धारा 10A और 10B के प्रावधानों में किए गए परिवर्तनों के मद्देनजर, वे निर्यातमुखी इकाइयाँ और मुक्त व्यापार क्षेत्रों में इकाइयाँ, जो 1.4.2000 से पहले स्थापित हैं, MAT के नए प्रावधानों के दायरे से बाहर होंगी।

नए प्रावधान के तहत भुगतान किए गए MAT का कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। हालांकि, मौजूदा प्रावधानों के तहत भुगतान किए गए अग्रिम MAT का क्रेडिट नियमित देय कर के विरुद्ध दिया जाएगा, लेकिन नए प्रावधान के तहत देय कर के विरुद्ध नहीं।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 47,48,49]

घरेलू कंपनियों के वितरित मुनाफे पर कर

धारा 115-ओ के मौजूदा प्रावधानों के तहत, किसी घरेलू कंपनी की कुल आय के संबंध में प्रभार्य आयकर के अतिरिक्त, लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या भुगतान की गई किसी भी राशि पर दस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आयकर लगाया जाता है।

घरेलू कंपनियों के वितरित लाभ पर कर को दस प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 115-ओ में संशोधन का प्रस्ताव है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115पी के मौजूदा प्रावधानों में 2% प्रति माह या उसके भाग की दर से साधारण ब्याज लगाने का प्रावधान है, यदि लाभांश पर अतिरिक्त आयकर धारा 115-ओ की उप-धारा (3) के तहत अनुमत समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है।

वित्त विधेयक, 1999 में, आयकर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न चूकों पर ली जाने वाली ब्याज दर को 2% से घटाकर 1.5% कर दिया गया है। वित्त विधेयक, 1999 द्वारा धारा 234A और 234B में क्रमशः 1-6-1999 से संशोधन किया गया है, जिससे इन धाराओं के अंतर्गत ली जाने वाली ब्याज दर 2 प्रतिशत प्रति माह से घटाकर डेढ़ प्रतिशत प्रति माह कर दी गई है।

उपरोक्त के मद्देनजर, धारा 115पी के अंतर्गत ली जाने वाली ब्याज दर को 1-6-2000 से दो प्रतिशत प्रति माह से घटाकर डेढ़ प्रतिशत प्रति माह करने का प्रस्ताव है। ताकि आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत वसूले जा रहे दंडात्मक ब्याज की दर में एकरूपता हो।

ये संशोधन 1 जून, 2000 से प्रभावी होंगे।

[खंड 50 और 51]

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड द्वारा वितरित आय पर कर

मौजूदा प्रावधानों के तहत, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या म्यूचुअल फंड द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित की गई आय की कोई भी राशि कर योग्य होती है और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या म्यूचुअल फंड ऐसी वितरित आय पर दस प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। धारा 115R के प्रावधानों के अनुसार, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड को ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड के अलावा अन्य फंडों से प्राप्त वितरित आय पर केवल 10% की दर से कर का भुगतान करना होता है। इस प्रावधान ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड के ऋण उपकरणों और बैंक व कंपनी जमाओं के पक्ष में एक विकृति पैदा कर दी है। इस विकृति के प्रभाव को कम करने के लिए, कर की दर को 10% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव है।

धारा 115आर में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड द्वारा वितरित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, निर्धारित प्रपत्र और तरीके से एक विवरण दाखिल करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें यूनिट धारकों को वितरित आय, उस पर भुगतान किए गए कर और अन्य प्रासंगिक ब्यौरे दिए जाएंगे।

मौजूदा प्रावधानों के तहत, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115एस में 2% प्रति माह या उसके भाग की दर से साधारण ब्याज लगाने का प्रावधान है, यदि वितरित आय पर कर का भुगतान धारा 115आर की उपधारा (3) के तहत अनुमत समय के भीतर नहीं किया जाता है।

धारा 115एस के अंतर्गत ली जाने वाली ब्याज दर को 1-6-2000 से दो प्रतिशत प्रतिमाह से घटाकर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। ताकि आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत वसूले जा रहे दंडात्मक ब्याज की दर में एकरूपता हो।

[खंड 52 और 53]

धारा 54ईए और 54ईबी के लिए समाप्ति खंड तथा एक नई धारा 54ईसी की शुरुआत, ताकि ग्रामीण विकास और राजमार्गों के विकास के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत लाभ का केंद्रित निवेश सुनिश्चित किया जा सके।

मौजूदा प्रावधानों के तहत, आयकर अधिनियम की धारा 54EA और 54EB दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न कर योग्य पूंजीगत लाभ को अवशोषित करने के लिए निवेश विकल्पों की एक टोकरी प्रदान करती है। पूंजीगत लाभ को रोल-ओवर प्रदान करने वाले अधिसूचित उपकरणों में शेयर, बांड, इकाइयां, बैंकों में जमा और विभिन्न अन्य उपकरण शामिल हैं। बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने के लिए 1996 में दो वर्गों को पेश किया गया था। हालांकि, बड़ी संख्या में विविध और विविध उपकरणों की उपस्थिति में उद्देश्य कमजोर हो गया है। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन आयकर अधिनियम की अन्य धाराओं जैसे धारा 80-IA, 80-IB और 10 (23G) के तहत भी उपलब्ध हैं। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कम कर दर की व्यवस्था में, छूट की ऐसी सर्वव्यापी टोकरी रखने का बहुत कम औचित्य है। इसलिए, 31.3.2000 तक दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के लिए उनके आवेदन को सीमित करने के लिए धारा 54EA और 54EB में सूर्यास्त खंड डालने का प्रस्ताव है।

धारा 54ईए और 54ईबी को समाप्त करके, उनके स्थान पर 54ईसी नामक एक नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव है। यह नई धारा, कृषि एवं ग्रामीण वित्त तथा राजमार्ग अवसंरचना पर केंद्रित चुनिंदा बॉन्डों में निवेश करने पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट प्रदान करेगी। विचाराधीन उपकरण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा 1-4-2000 को या उसके बाद जारी किए गए बॉन्ड होंगे, जिन्हें पाँच वर्षों के बाद भुनाया जा सकेगा। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट इन बॉन्डों में निवेश की सीमा तक ही होगी।

इन बॉन्ड्स की लॉक-इन अवधि पाँच वर्ष होगी। लॉक-इन अवधि के दौरान बॉन्ड्स का किसी भी प्रकार का हस्तांतरण या धन में रूपांतरण, हस्तांतरण या रूपांतरण के वर्ष में कर योग्य मानी गई पूंजीगत लाभ राशि को कर योग्य बना देगा। यदि इन बॉन्ड्स की सुरक्षा पर कोई ऋण या अग्रिम राशि ली जाती है, तो भी ऐसा माना गया पूंजीगत लाभ अर्जित होगा। इसके अलावा, इन बॉन्ड्स में निवेश की गई कोई भी राशि आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र नहीं होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा ^{तथा} तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 22, 23 और 24]

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक की परिभाषा का युक्तिकरण

आयकर अधिनियम की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को उस सूचकांक के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे केंद्र सरकार उस वर्ष के शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पचहत्तर प्रतिशत की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित कर सकती है। चूंकि सूचकांक को उस वर्ष के दौरान किए जाने वाले परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के संबंध में वर्ष के आरंभ में अधिसूचित किया जाना है ताकि देय अग्रिम कर की किस्त की गणना की जा सके, इसे पिछले वर्ष में सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर उस वर्ष के 1 अप्रैल के संबंध में होना चाहिए। ^{अधिसूचनाएं} इसी आधार पर जारी की गई हैं। इस मुद्दे को बिना किसी संदेह के स्पष्ट करने के लिए, खंड (v) को पूर्वव्यापी रूप से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी भी पिछले वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक ऐसा सूचकांक होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा ठीक पिछले वर्ष के शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पचहत्तर प्रतिशत की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया गया हो।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 1993 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी ^{होगा}।

[खंड 20]

भारत में उपार्जित या उत्पन्न मानी जाने वाली आय

मौजूदा प्रावधानों के तहत, धारा 9 में वह आय सूचीबद्ध है जो भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाती है। हालांकि, किसी अनुमोदित योजना के तहत कंप्यूटर या कंप्यूटर-आधारित उपकरण के साथ आपूर्ति किए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में अधिकारों के हस्तांतरण के लिए किसी निवासी व्यक्ति या सरकार से प्राप्त अनिवासी निर्माता के हाथों में कोई भी रॉयल्टी आय धारा 9 के मान्य प्रावधानों से बाहर रखी गई है।

"कंप्यूटर सॉफ्टवेयर" की परिभाषा उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 3 में दी गई है, जिसमें प्रावधान है कि "कंप्यूटर सॉफ्टवेयर" पद का वही अर्थ होगा

जो धारा 80HHE के स्पष्टीकरण के खंड (b) में दिया गया है। हालाँकि, यह उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर प्रेषित किया जाता है।

उक्त स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि "कंप्यूटर सॉफ्टवेयर" से तात्पर्य किसी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य सूचना भंडारण उपकरण पर रिकॉर्ड किए गए किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम से है और इसमें ऐसा कोई भी प्रोग्राम या कोई भी अनुकूलित इलेक्ट्रॉनिक डेटा शामिल है। प्रस्तावित संशोधन परिणामी प्रकृति का है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4]

आयकर अधिनियम की धारा 201 के अंतर्गत पारित आदेश आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील योग्य बनाए गए।

आयकर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1) के अनुसार, अधिनियम के तहत अपेक्षित कर की कटौती करने या कटौती के बाद कर का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में प्रधान अधिकारी को चूककर्ता करदाता माना जाएगा। धारा 246ए के तहत आयुक्त (अपील) के समक्ष जिन आदेशों के खिलाफ अपील की जाती है, उनकी सूची में आयकर अधिनियम की धारा 201 के तहत आदेश का कोई संदर्भ नहीं है। कुछ मामलों में, अपीलीय आयुक्तों ने धारा 201 के तहत आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया है। धारा 246ए में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि धारा 201 के तहत आदेश का संदर्भ डाला जा सके और यह प्रावधान किया जा सके कि 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके बाद लेकिन 1 जून, 2000 से पहले धारा 201 के तहत किसी आदेश के खिलाफ दायर की गई कोई भी अपील इस धारा के तहत दायर की गई मानी जाएगी। धारा 249 में उपधारा (2क) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 201 के अधीन कोई आदेश 1 अक्टूबर, 1998 के पश्चात् किन्तु 1 जून, 2000 से पूर्व किया गया है और चूककर्ता करदाता ने उपधारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, तो वह 1 जुलाई, 2000 से पूर्व ऐसा कर सकेगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2000 से प्रभावी होंगे।

[खंड 62 और 63]

आयकर अधिनियम की धारा 246 की उप-धारा (1) और (2) के लिए सूर्यास्त खंड

आयकर अधिनियम की धारा 246 की उप-धारा (1) और (2) में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का उल्लेख है, जिनके विरुद्ध क्रमशः उपायुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील का प्रावधान करने वाली धारा 246ए, नियत तिथि से पहले या बाद में किए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलों के संबंध में, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1 अक्टूबर, 1998 से लागू की गई थी। नियत तिथि 1-10-1998 अधिसूचित की गई थी। उपायुक्त (अपील) के स्तर पर एक अपीलीय स्तर को समाप्त करने के निर्णय के कारण एक नई धारा की शुरुआत आवश्यक हो गई थी।

जब धारा 246ए 1-10-1998 से प्रभावी हुई, तो धारा 246 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) में लंबित मामलों, यदि कोई हों, के निपटान हेतु कोई सूर्यास्त खंड प्रदान नहीं किए गए थे। अब इन उप-धाराओं को 1-6-2000 को या उसके बाद दायर की गई अपीलों पर लागू न करके समाप्त करने का प्रस्ताव है। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि आयकर अधिनियम की धारा 246 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 1-10-1998 को या उसके बाद और 1-6-2000 से पहले की गई कोई भी अपील, उप-धारा 246ए के अंतर्गत दायर की गई अपील मानी जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2000 से प्रभावी होंगे।

[धारा 61]

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपीलों पर निर्णय लेने के लिए सलाहकार समय-सीमा को विभागीय अपीलों तक बढ़ा दिया गया

धारा 254 की उपधारा (2ए) में यह प्रावधान है कि अपीलीय न्यायाधिकरण, जहां यह संभव हो, धारा 253 की उपधारा (1) के तहत अपील दायर किए जाने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के भीतर अपीलों पर सुनवाई और निर्णय कर सकता है। यह करदाता द्वारा दायर अपीलों को संदर्भित करता है।

धारा 253 की उपधारा (2) के अंतर्गत आयुक्त द्वारा दायर अपीलों के लिए परामर्श समय-सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2000 से प्रभावी होंगे।

[धारा 64]

आयकर अधिनियम की कई धाराओं में धारा 246ए का संदर्भ शामिल किया गया

आयकर अधिनियम की धारा 246ए के अंतर्गत आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की जा सकती है। आयकर अधिनियम की कई धाराओं में इस धारा का संदर्भ

आवश्यक है।

आयकर अधिनियम की धारा 158बीएफ की उपधारा (3), धारा 220 की उपधारा (6), धारा 267 और धारा 275 की उपधारा (1) में धारा 246ए का संदर्भ अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2000 से प्रभावी होंगे।

[खंड 56, 58, 65 और 66]

निवासी आवेदकों के लिए अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण से संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा किए गए संशोधनों के माध्यम से अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण से संबंधित प्रावधानों को निवासी आवेदकों की अधिसूचित श्रेणियों तक विस्तारित किया गया था। अग्रिम विनिर्णय की परिभाषा को व्यापक बनाया गया ताकि मूल्यांकन आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून या तथ्य के प्रश्न पर निर्णय को इसमें शामिल किया जा सके। केंद्र सरकार ने पहले ही व्यक्तियों के दो वर्ग अधिसूचित कर दिए हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ और वे व्यक्ति शामिल हैं जो किसी निवासी द्वारा किसी अनिवासी के साथ किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहते हैं।

इन प्रावधानों को और अधिक सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है। आवेदक और अग्रिम निर्णय की मौजूदा परिभाषाओं के अंतर्गत, किसी निवासी द्वारा किसी अनिवासी के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित लेनदेन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे का निर्धारण करने में परिचालन संबंधी कठिनाई होती है। निवासी आवेदकों के लिए परिभाषित अग्रिम निर्णय के अर्थ को सुव्यवस्थित और व्यापक किए जाने की आवश्यकता है ताकि कुल आय की गणना से संबंधित मुद्दों के पूर्व-मूल्यांकन निर्धारण के साथ-साथ मूल्यांकन-पश्चात निर्णय को भी इसमें शामिल किया जा सके।

इसलिए, अग्रिम विनिर्णय और आवेदक के अर्थ को निम्नलिखित शब्दों में संशोधित करने का प्रस्ताव है। अग्रिम विनिर्णय का अर्थ होगा,—

- (i) किसी अनिवासी द्वारा किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी लेन-देन से उत्पन्न विधि या तथ्य के किसी प्रश्न का निर्धारण, या
- (ii) किसी निवासी द्वारा किसी अनिवासी के साथ किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित लेन-देन से उत्पन्न विधि या तथ्य के किसी प्रश्न का निर्धारण, या
- (iii) किसी आयकर प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित कुल आय की गणना से संबंधित विधि या तथ्य के किसी प्रश्न का निर्धारण या निर्णय।

इसी प्रकार, आवेदक में अनिवासी, अनिवासी के साथ लेन-देन के संबंध में निवासी तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों के वर्ग या श्रेणी में आने वाला निवासी शामिल होगा।

धारा 245आर की उपधारा (2) के परंतुक में निहित मौजूदा प्रावधानों के तहत, *अन्य बातों के साथ-साथ*, यह प्रावधान है कि यदि आवेदन में उठाया गया प्रश्न आयकर प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो प्राधिकरण आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। हालाँकि, ऐसा अपवर्जन निवासी आवेदकों पर लागू नहीं होता है।

इस प्रावधान के स्थान पर यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि प्राधिकरण उस स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं करेगा जब आवेदक के मामले में उठाया गया प्रश्न किसी आयकर प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष किसी अनिवासी आवेदक और निवासी आवेदक के साथ किसी अनिवासी के लेन-देन के संबंध में पहले से ही लंबित हो। हालाँकि, यह प्रतिबंध निवासी आवेदकों की अधिसूचित श्रेणी पर तभी लागू होगा जब मामला किसी न्यायालय में लंबित हो। किसी भी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के निर्धारण पर रोक से संबंधित खंड (ख) में विद्यमान शर्तें जारी रहेंगी। आयकर से बचने के लिए प्रथम दृष्टया तैयार किए गए किसी मुद्दे से संबंधित खंड (ग) में विद्यमान शर्तें निवासी आवेदकों की अधिसूचित श्रेणी पर लागू नहीं होंगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2000 से प्रभावी होंगे।

[खंड 59 और 60]

प्राप्ति के वर्ष में किराए के बकाया पर कराधान

आयकर अधिनियम के तहत गृह संपत्ति से आय पर कर लगाने की योजना में 'वार्षिक मूल्य' की अवधारणा शामिल है। वार्षिक मूल्य वह राशि मानी गई है जिस पर संपत्ति को वर्ष-दर-वर्ष किराए पर देने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है, या वार्षिक मूल्य से अधिक प्राप्त या प्राप्य वार्षिक किराया माना गया है। इसलिए, बाद में प्राप्त बकाया किराया वार्षिक मूल्य या वार्षिक किराए के दायरे में नहीं आता है। ऐसी आय पर अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर लगाना कठिन है क्योंकि वे गृह संपत्ति से आय का स्वरूप बनाए रखते हैं। संबंधित वर्षों के बकाया किराए को भी शामिल करना कठिन है क्योंकि वे उन वर्षों के दौरान प्राप्य नहीं थे।

इसलिए, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 25बी जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि यदि धारा 23 के अंतर्गत पहले से कर योग्य राशि के अलावा, किराए का कोई बकाया किसी आगामी वर्ष में प्राप्त होता है, तो उस पर प्राप्ति के वर्ष में कर लगाया जाएगा, चाहे वह संपत्ति प्राप्ति के वर्ष में करदाता के स्वामित्व में हो या नहीं। मरम्मत और किराए की वसूली के लिए किराए की ऐसी राशि के एक-चौथाई के बराबर राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1-4-2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

वित्त अधिनियम, 1999 की प्रथम अनुसूची के भाग III में संशोधन

अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III में उन दरों का उल्लेख है जिन पर "वेतन" से स्रोत पर आयकर काटा जाना है तथा उन दरों का भी उल्लेख है जिन पर "अग्रिम कर" का भुगतान किया जाना है तथा वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए विशेष मामलों में आयकर की गणना या प्रभारित किया जाना है।

वित्त अधिनियम, 1999 की प्रथम अनुसूची के भाग III में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि धारा 115AC के स्थान पर धारा 115ACA में निर्दिष्ट आय पर अधिभार लगाया जाएगा। यह संशोधन स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1999 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा।

[धारा 118]

परिणामी संशोधन

वित्त अधिनियम, 1999 ने धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, विधेयक में आयकर अधिनियम की धारा 10, 11, 35डी, 36, 43बी, 80एल, 88 और 194ए में परिणामी संशोधन करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2000 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होंगे। [खंड 5, 8, 15, 16, 18, 37, 43 और 57]

कार विवाद समाधान योजना, 1998 में संशोधन

कार विवाद समाधान योजना, 1998 के प्रावधान वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 के अध्याय IV में निहित हैं। वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 की धारा 90 (2) के तहत, घोषणाकर्ता को आदेश पारित करने के 30 दिनों के भीतर नामित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करना आवश्यक था। उपरोक्त समय-सीमा ने कई मामलों में कठिनाइयाँ पैदा की हैं, जहाँ करदाताओं ने प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की समय-सीमा की व्याख्या की है। नतीजतन, इन मामलों में भुगतान कुछ दिनों तक विलंबित हो गया है। ऐसे मामले भी हुए हैं जहाँ नामित प्राधिकारी के ये प्रमाण पत्र घोषणाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय देने से इनकार करते हुए देरी से दिए गए हैं। विलंबित भुगतान के कुछ मामलों में, अदालतों ने आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की समय-सीमा की व्याख्या की है।

कठिनाई को दूर करने तथा न्यायिक राय को वैधानिक मान्यता देने के लिए, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 की धारा 90 की उपधारा (2) को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि 30 दिनों के भीतर भुगतान की सीमा, देय राशि का निर्धारण करने वाले नामित प्राधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से शुरू होगी।

धारा 88 विभिन्न अधिनियमों के तहत कर बकाया के निपटान के लिए देय राशि के निर्धारण का प्रावधान करती है। इस धारा का खंड (ई) ब्याज-कर अधिनियम, 1974 के तहत कर बकाया के निपटान के लिए देय राशि के निर्धारण से संबंधित है। खंड (ई) के उप-खंड (i) में प्रावधान है कि, जहाँ कर बकाया में प्रभार्य ब्याज शामिल है, देय राशि विवादित प्रभार्य ब्याज के दो प्रतिशत पर निर्धारित की जाएगी। खंड (ई) के उप-खंड (ii) में यह प्रावधान है कि जहाँ कर बकाया में विवादित ब्याज के साथ ब्याज और जुर्माना शामिल है, देय राशि कर बकाया के दो प्रतिशत पर निर्धारित की जाएगी। दो उप-खंडों के बीच स्पष्ट विसंगति है जो अनपेक्षित व्याख्या के लिए सक्षम है, भले ही प्रावधानों को स्पष्ट रूप से वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 में प्रावधानों को समझाने वाले ज्ञापन में समझाया गया हो

प्रस्तावित संशोधन 1 सितम्बर, 1998 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होंगे।

[धारा 117]

संपत्ति कर

संपत्ति-कर अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) और (1ए) के सूर्यास्त खंड

संपत्ति कर अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) और उपधारा (1ए) में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की सूची दी गई है, जिनके विरुद्ध उपायुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1 अक्टूबर, 1998 से उपायुक्त (अपील) के अपीलिय स्तर को समाप्त करने और आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील का प्रावधान करने वाली एक नई धारा अर्थात् धारा 23ए के लागू होने के साथ ही, यह प्रस्ताव है कि ये धाराएं 1-6-2000 को या उसके बाद दायर की गई अपीलों पर लागू नहीं होंगी। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि संपत्ति कर अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत 1-10-98 को या उसके बाद और 1-6-2000 से पहले की गई कोई भी अपील धारा 23ए के अंतर्गत दायर की गई अपील

मानी जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2000 से प्रभावी होंगे।

[धारा 68]

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपीलों पर निर्णय लेने के लिए सलाहकारी समय-सीमा को विभागीय अपीलों तक बढ़ा दिया गया है

आयुक्त द्वारा दायर अपीलों के लिए परामर्शी समय-सीमा प्रदान करने के लिए संपत्ति-कर अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (5ए) में संशोधन का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2000 से प्रभावी होगा।

[धारा 69]

संपत्ति कर अधिनियम की कुछ धाराओं में धारा 23ए का संदर्भ सम्मिलित किया जाना

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 द्वारा संपत्ति-कर अधिनियम की धारा 23ए के प्रारंभ किए जाने के मद्देनजर, संपत्ति-कर अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (2) और (6), धारा 34ए की उप-धारा (4बी) और धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (सी) में इस धारा का संदर्भ अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2000 से प्रभावी होंगे।

[खंड 70, 71 और 72]

ब्याज कर

ब्याज-कर की वापसी

ब्याज-कर अधिनियम, 1974, 1 अक्टूबर, 1991 को या उसके बाद देय ब्याज के संबंध में निरंतर प्रचालन में है। ब्याज-कर अधिनियम के अंतर्गत, ऋण संस्थाओं अर्थात् बैंकिंग कम्पनियों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, राज्य वित्तीय निगमों और किसी अन्य वित्तीय कम्पनी आदि को प्राप्त होने वाला प्रभार्य ब्याज 2% की दर से ब्याज कर के अधीन है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उधारकर्ताओं के लिए ऋण सस्ता बनाने हेतु ब्याज-कर को समाप्त करने की लगातार मांग की जा रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी ब्याज-कर को समाप्त करने की सिफ़ारिश की है। इसलिए, ब्याज-कर अधिनियम की धारा 4 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि ब्याज-कर अधिनियम, 1 अप्रैल, 2000 को या उसके बाद ऋण संस्थानों को प्राप्त होने वाले ब्याज पर लागू नहीं होगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[धारा 73]